

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 22, शक 1940

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. 1436-एफ(2) 8-13-एक-अड़तालीस.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव,

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्र. 349-पीएस-जीएमपी-18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की विद्यमान विधान सभा का आज दिनांक 13 दिसम्बर 2018 से विघटन करती हूँ:

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. 1437-एफ(2) 8-13-एक-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 349-पीएस-जीएमपी-18, दिनांक 13 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव,

Raj Bhavan, Bhopal, the 13th December 2018

NOTIFICATION

No. 349-PS-GMP-18.—In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Anandiben Patel, Governor of Madhya Pradesh, hereby, dissolve the existing Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh from 13th day of December, 2018.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.